

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5

क्रमांक : ए.1(4)94 / 89 / पार्ट v
दिनांक : 11 मई, 2023

कार्यालय आदेश

निगम के आदेश क्रमांक A.1(4)94/89/पार्ट v दिनांक 24.01.2023 के द्वारा निगम कार्मिकों को दिनांक 31.03.2023 तक के चिकित्सा बिलों का पूर्व की भांति पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 5004/2022, Sh. Suneet Mathur v/s RIICO के संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.05.2022 के द्वारा निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.02.2022 पर स्टे लगा दिया गया है जो कि माननीय न्यायालय में लंबित है।

अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निगम प्रबंधन द्वारा निगम कार्मिकों को दिनांक 31.07.2023 तक के चिकित्सा बिलों का पूर्व की भांति पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि:

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
3. समस्त इकाई प्रभारी
4. उप महाप्रबन्धक (आईटी) - उक्त आदेश को रीको वेबसाईट पर अपलोड करवायें।
5. न्यास सचिव, सीपीएफ ट्रस्ट
6. प्रबंधक, बिल्स
7. कार्यालय आदेश पत्रावली
8. नोटिस बोर्ड

को भेजकर लेख है कि आपके प्रकोष्ठ/इकाई में कार्यरत कार्मिकों को उक्त आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि को भी :

1. वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
2. वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय